भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5727
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

5727. **थिरु दयानिधि मारन:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु द्वारा अपने राज्य के हिस्से को समय पर जारी किए जाने के बावजूद मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए निधि जारी करने में विलंब कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार का राज्यों को अंतिम समय में निधि जारी किए जाने के कारण अप्रयुक्त निधि को आगे ले जाने से रोकने के लिए संवितरण समय को पुनर्संरचित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वित्त वर्ष के अंत में होने वाले व्यपगमन को रोकने के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा प्रत्येक तिमाही के अंत में जारी करने के बजाय प्रत्येक तिमाही के आरंभ में जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या मंत्रालय ने तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के लिए समय पर निधि अंतरण सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) केंद्र सरकार मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधि जारी करने में देरी नहीं कर

रही है। मंत्रालय की योजनाओं के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजनाबद्ध मानदंडों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी)/कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) को प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधि आवंटित की जाती है। तथापि,किसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि और उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद जारी की जाती है। इसके अलावा, निधि जारी करने की प्रक्रिया तभी शुरू की जाती है जब राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के मानदंडों का अनुपालन किया हो, अर्थात (i) राज्य को पहले जारी की गई निधियों का 75% से अधिक व्यय कर लिया हो (ii) एसएनए खाते में खर्च न की गई शेष राशि एक तिमाही के अनुदान के आधे से कम हो, (iii) राज्य को जारी किए गए केंद्रीय अंश पर प्रति अर्जित ब्याज जमा किया गया हो, और (iv) राज्य कोषागार से एसएनए में धन अंतरण ऋणात्मक न हो।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से प्राप्त एसएनए रिपोर्टों को भी देखा जाता है/ उनकी जांच की जाती है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी करने से पहले पिछले वर्ष की खर्च न की गई शेष राशि को भी समायोजित किया जाता है।

*****